

राजस्थान - सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 223/1956-57

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भवानी निकेतन मैनेजिंग कमेटी, जयपुर वेस्ट का पंजीयन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1956 के अन्तर्गत क्रमांक 223 पर दिनांक ग्यारह दिसम्बर सन् एक हजार नौ सौ छपन को दिया गया था।

अब इस संस्था का नाम परिवर्तित कर "श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर जिला जयपुर" कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के प्रावधान के अन्तर्गत किया गया।

यह परिवर्तन प्रमाण पत्र आज दिनांक पच्चीस माह अगस्त सन् एक हजार नौ सौ इक्कीस को जयपुर में जारी किया गया।



के.सी. भार्गव

27/8/81

रजिस्ट्रार संस्थाएं राजस्थान  
जयपुर।

सचिव

श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति

जयपुर

S. M. Sharma  
PRINCIPALShri Bhawani Niketan T.T. College  
Shekhawati Road, (Sikar Road)  
JAIPUR 302 023S. M. Sharma  
प्राचार्याश्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति  
सोसाइटी (सिकर रोड)  
जयपुर - 302 023

राजस्थान सरकार  
राजस्व मस-31 विभाग

क्रमांक: प. 214455/राज/मस-3/90

जयपुर, दिनांक: 20.7.94

**6: आदेश :-**

चूंकि भूतपूर्व जयपुर रियासत द्वारा राजपूत सरदार सभा, जयपुर को हाई स्कूल भवन, बोर्डिंग हाऊस एवं कारिगों के आवास गृह निर्माण हेतु उनके पत्र क्रमांक: 7064/रेवे 10-10.42 द्वारा तहसील तवाई जयपुर के ग्राम बस्ती तीताराम्ब की 41 बीघा 16 बिस्वा, ग्राम झोटवाडा की 12 बीघा 18 बिस्वा, ग्राम परतराम की 57 बीघा 3 बिस्वा तथा जंगलात ग्राम फार्म और विकारजाना विभाग की 389.04 बिस्वा कुल रकबा 501 बीघा 01 बिस्वा ~~...~~ भूमि निष्कृत आवंटित की गई राज्य सरकार द्वारा उनके आदेश क्रमांक प. 21260/रेवे/3/80 दिनांक 30.7.82 दार अनाधिसासित भूमि पुनर्गृहण कर ली गई ।

और चूंकि राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक प. 21260/रेवे/3/ दिनांक 30.7.82 द्वारा आवंटित भूमि निरस्त किये जाने से पूर्व राजपूत सभा एवं श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार पुनर्तुन्वाई हेतु अवसर दिया जाना चाहिये था । लेकिन उक्त सम संश्लेषक आदेश में राजपूत सभा एवं श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर को पर्याप्त तुन्वाई कर उनके दार प्रस्तुत उत्तर पर विचार करते हुये आवंटित भूमि का पुनर्गृहण किया जाना प्रत्यक्षतः परिलक्षित नहीं होता है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पारित उक्त भूमि पुनर्गृहण आदेश का मुख्य आधार श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा कृषि उपज समिति, जयपुर की मांग पर भूमि का संज्ञाकरण किया जाना रहा जबकि जिला क्लक्टर, जयपुर ने कृषि उपज मण्डी समिति को भूमि क्रय नहीं करने हेतु स्थगन आदेश दिये हुये थे । कृषि उपज मण्डी समिति ~~...~~ राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त शासी संस्था है एवं भूमि संज्ञापना में कृषि विभाग, राज्य सरकार भी सम्बद्ध पक्ष था और कृषि विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक प. 101214/कृषि/मस-2-बी/74-पाई दिनांक 17.10. से 76 बीघा भूमि क्रय करने हेतु स्वोकृति प्रदान की गई थी । वास्तव में श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा कोई भूमि विक्रय नहीं हुआ था । अतः ऐसी स्थिति में सम संश्लेषक आदेश दिनांक 30.7.82 न्यायोचित नहीं था ।

और चूंकि श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति प्रजीवन तोतापटी रजिस्ट्रार 1860 के अन्तर्गत प्रजीकृत समिति । द्वारा यह अभ्यावेदन करने पर कि उक्त भूमि मसू 1942 के प्रारम्भिक आवंटनआदेश के अनुसार शिक्षा प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु स्वोकृति दे दी जावे, राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि आवंटन उपरोक्त प्रयोजनार्थ पुनर्स्थापित करने हेतु धारा 102, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत भूमि तादादी 506 बीघा 4 बिस्वा, जो कि जिला क्लक्टर, जयपुर द्वारा उक्त पुनर्गृहण आदेश के अनुसार कब्जे में ली गई थी, श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति को आदेश क्रमांक प. 21260/रेवे/3/80/पाई-2 दिनांक 25.8.84 द्वारा पुनः आवंटनकी गई एवं इसके अतिरिक्त ग्राम बीड सरकारी के खतरा नं. 11 की भूमि ता 3 बीघा एवं ग्राम झोटवाडा के खतरा नं. 1069 की भूमि तादादी 4 बीघा 5 बिस्वा उक्त समिति के कब्जे में समानान्तर उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग में लेने के लिये आ किया गया । लेकिन इन आवंटन आदेशों में प्रारम्भिक आवंटनआदेश के अतिरिक्त अन

---2.

Comp. by

*Ranath*  
प्राचार्य

*Ranath*  
PRINCIPAL

श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति  
शेखवादी रोड (सिकार रोड)  
जयपुर - 302 023  
Shri Bhawan Niketan T.T. College  
Shekhawati Road, (Sikar Road)  
JAIPUR - 302 023

- 2 -

भूतों का समावेश किया जाने से फ़ारमिङ आर्बंटन आदेश का पुनर्स्थापन नहीं हुआ ।

और चूंकि उक्त भूमि आर्बंटन से तन्वुष्ट नहीं होने के कारण राजपूत सभा जयपुर द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 1655/84 दायर कर दी गई एवं तदुपरान्त राजपूत सभा एवं श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त इस भूमि आर्बंटन के संबंध में दीर्घकाल की छुट्टी आ रही इस विवादग्रस्त स्थिति पर विचार किया गया । श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति ने इस विवाद के फलस्वरूप शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी कार्यों, तकनीकी एवं विशिष्ट पाठ्यक्रमों के संयोजन एवं नये पाठ्यक्रम शुरू करने में बाधा कठिनाई होना प्रकट किया । श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर एवं राजपूत सभा, जयपुर द्वारा भूतपूर्व जयपुर रियासत के भूमि आर्बंटन आदेश दिनांक 10.10.42 के अन्तर्गत आदिनांक उनके कब्जे में लगी आ रही भूमि आर्बंटन किये जाने पर उच्च न्यायालय में उनके द्वारा पुनः-मूक दायर याचिकाएँ दाखिल होने हेतु लिखित में दे दिया गया ।

अतः, सतद्वारा उपरोक्त शिक्षण संबंधित प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 त्रुटित राजस्थान भू-राजस्व इस्फूर्त, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिसारित राजकीय कृषि भूमि का आर्बंटन। नियम, 1963 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रस्तावित आदेश क्रमांक प.2।260।रेवे/3/80/11 दिनांक 25.8.84 को ~~प्रतिरिक्त/पर~~ प्रति संहन करते हुये निम्नलिखित आदेश प्रस्तारित किये जाते हैं :-

1. राजपूत सभा को हाई स्कूल, बोर्डिंग हाउस एवं स्टाफ क्वार्टर हेतु 50। बीघा 0। बिस्वा भूमि का भूतपूर्व जयपुर रियासत द्वारा आर्बंटनआदेश दिनांक 10.10.42 का पुनर्स्थापन किया जाता है । चूंकि राजपूत सभा के स्थान पर श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति शिक्षण संस्थाओं के संयोजन का कार्य कर रही थी और चूंकि अब इन शिक्षण संस्थाओं के संयोजन के कार्य हेतु श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड चेरिटेबिल ट्रस्ट का गठन किया जा चुका है । अतः दिनांक 10.10.42 के भूमि आर्बंटन आदेश का पुनर्स्थापन श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड चेरिटेबिल ट्रस्ट के नाम पर किया जाता है। इस पर राजपूत सभा, श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति तथा श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड चेरिटेबिल ट्रस्ट सहमत है ।

उपरोक्त भूमि के अलावा श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के कब्जे में आदिनांक लकी आरही 54 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आर्बंटन उपरोक्त शिक्षण संस्थाओं के लिये श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड चेरिटेबिल ट्रस्ट को निःशुल्क किया जाता है । इस प्रकार कुल 555 बीघा 16 बिस्वा भूमि का संलग्न परिशिष्ट के अनुसार श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड चेरिटेबिल ट्रस्ट, जयपुर को आर्बंटन किया जाता है ।

--- 3.

Comp. by

Smalhu

Smalhu

PRINCIPAL

Shri Bhawani Niketan T.T. College  
Shekhawati Road, (Sikar Road)  
JAIPUR - 302 023

3. उपरोक्तानुसार आवंटित भूमि का उपयोग श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड वेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा केवल शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ही किया जा सकेगा ।

6  
49

आज्ञा है,

९४  
श्री अशोक कुमार चपलोट ।  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास एवं आपातन विभाग ।
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
3. जिला काक्टर, जयपुर ।
4. अध्यक्ष, श्री भवानी निकेतन शिक्षण समिति, <sup>जयपुर</sup> जयपुर ।
5. शक्ति पत्रावली ।

*[Signature]*  
शासन उप सचिव.

प्रतिष्ठान सचिव

श्री भवानी निकेतन शिक्षण समिति  
राज्य प्रोत्साहन विभाग  
जयपुर

*[Signature]*

PRINCIPAL

Shri Bhawani Niketan E.T. College  
Sardar Patel Road, (Sikar Road)  
JAIPUR - 302 023

Comp. by *[Signature]*

*[Signature]*  
प्राचार्या

श्री भवानी निकेतन शिक्षण समिति  
सर्दार पटेल रोड (सिकर रोड)  
जयपुर - 302 023

परिच्छिन्न

रजप्रवेशन १९३३-३४ में कल ६६६  
श्री भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान, जयपुर को आवंटित की गई  
भूमि का विवरण ।

क्रम सं.	नाम ग्राम	तहसील व जिला	खसरा संख्या	रकबा.						
1.	बीड़ सरकारी	जयपुर	7	73 बीधा	4 बिस्वा					
			8	140 बीधा	16 बिस्वा					
			9	62 बीधा	12 बिस्वा					
			10	67 बीधा	14 बिस्वा					
			11	3 बीधा	-					
			12	-	8 बिस्वा					
			13	3 बीधा	12 बिस्वा					
			14	41 बीधा	18 बिस्वा					
			15	19 बीधा	-					
			योग:-			412 बीधा	4 बिस्वा			
			2.	होल्वाड़ा	जयपुर	1068	34 बीधा	7 बिस्वा		
						1069	4 बीधा	5 बिस्वा		
						योग:-			38 बीधा	12 बिस्वा
						योग:-			38 बीधा	12 बिस्वा
			3.	परतरामपुरा	जयपुर	1	21 बीधा	2 बिस्वा		
2	10 बीधा	11 बिस्वा								
2/54	-	5 बिस्वा								
3	12 बीधा	2 बिस्वा								
4	14 बीधा	10 बिस्वा								
5	1 बीधा	6 बिस्वा								
6	3 बीधा	10 बिस्वा								
योग :-						63 बीधा	6 बिस्वा			
4.	मल्ही तीतारामपुरा	जयपुर	1/2	41 बीधा	14 बिस्वा					
			योग :-			41 बीधा	14 बिस्वा			
महायोग :-			555 बीधा	16 बिस्वा						



श्री भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान  
जयपुर

*Smaller*

प्राचार्या

श्री भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान

गोखावाडी रोड, जयपुर

जयपुर

Comp. by

*Smaller*

PRINCIPAL

Shri Bhawani Niketan T.T. College  
Gokhwar Road, (Sikar Road)